राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

पत्रांक: प. 2(I)261/लेखा/मबावि/54104-135 जयपुर, दिनांक 6.8.09

उपनिदेशक (बाल विकास)
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त।

विषयः– विभागीय अधिकारियों के पदनाम से खोले गये बैंक खातों के संबंध में।

प्रसंग :– वित्त विभाग का परिपत्र संख्या एफ.21(2)एफ.डब्ल्यू.एम./2007 दिनांक 23.02.07 एवं विभाग का पृष्ठांकन कमांक 18757–19063 दिनांक 13.03.07

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा विभागीय अधिकारियों के पदनाम से खोले गये बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से बन्द करने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु विभाग के ध्यान में आया है कि कतिपय अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पदनाम से बिना सक्षम स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त किये ही बैंक खाते खुलवा रखे है, जो कि राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेशो/दिशा निर्देशों के विरूद्ध है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेशों की पालना में आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों में खुले हुए बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से बन्द करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सुचित करें।

साथ ही आप अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों से ऐसे बैंक खातो की सूचना संकलित कर प्रेषित करें, जो कार्यालय अध्यक्ष के नाम से खोले गये है। यदि सूचना शुन्य है तो शुन्य की सूचना भी प्रेषित करें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

D:\RAKESH\m d sing.doc- 28 -

प्रतिलिपि :- website पर उपलब्ध कराने हेतु।

6/8